



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-02122022-240740
CG-CG-E-02122022-240740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5386]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/अग्रहायण 10, 1944

No. 5386]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5618(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989का 24) की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गज़ट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारियों को तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती हैं।

सारणी

क्रमांक सं.	परियोजना का नाम	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सरगबुंदिया- मड़वारानी के बीच तीसरी एवं चौथी रेलवे लाईन (2x6.1कि. मी.)

[फा. सं. डीसीई/सी/बीएसपी/सरगबुंदिया – मड़वारानी तीसरी एवं चौथी लाईन /भूमि अधिग्रहण]

एच. पी. त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 30th November, 2022

S.O. 5618(E).—In exercise of power conferred by clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the state of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification of the official Gazette.

S. No.	Competent Authority	Area of The Special Railway Projects
1	Sub-Divisional Officer (Revenue)/Korba	3rd and 4th Railway line between Saragbundia and Madwarani of South East Central Railway(2x6.1 Km.)

[F. No. DCE/C/BSP/Saragbundia-Madwarani 3rd and 4th line/land acquisition]

H.P.TRIPATHI, Chief Administrative Officer, (Construction)